नम्बर अहकाम हुक्म तारीख में तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/?/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज ~~अन्य~~ के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। अतः [illegible] पत्रावली दि. 30/4/18 को पेश हो [illegible] पेशी स्वयं प्राप्त करते। प्रकरण पत्रावली आज लोक अदालत हेतु नियत किया गया है। पत्रावली लोक अदालत केम्प मोरपा दि. 5.6.18 को पेश हो।	
5/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प मोरपा में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी द्वारा उपस्थित होकर कथन किये कि ग्राम बोरखेडा तहसील दीगोद की पुरानें ख0नं0 646 की 1 बीघा 18 बिस्वा के आवंटन पत्र में वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल की जाति नायक के स्थाना पर नाई दर्ज करनें अथवा पढा जानें तथा बाद सेटलमेंट नये ख0नं0 0.32 हे0 भूमि गैर खातेदारी में दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिकी पारित की जावें। वादी द्वारा वांछित रिलीफ के कम में वकील वादी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं जवाब सरकार पर मनन किया। वादी मोहनलाल के पिता लक्ष्मीनारायण को दिनांक 31.05.86 को भूमि आवंटित हुई थी, जिसमें लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल की जाति नायक दर्ज है, जबकि भूमि पर दखल लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल जाति नाई को दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में आवंटन आदेश एवं दखल नामा की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। मजमें आम में उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी करनें पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि ग्राम बोरखेडा में लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल जाति नायक नामक कोई भी व्यक्ति नहीं है, जबकि लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल जाति नाई नामक व्यक्ति ग्राम बोरखेडा में निवास करता था, लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु वर्तमान में लक्ष्मीनारायण नाई के वारिसान ग्राम बोरखेडा में ही निवास कर रहे है। तथा विवादित आराजी पर लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल जाति नाई के वारिसान ही काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त कथनों की पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत मोरपा द्वारा भी की गई है। मजमें आम में प्राप्त जानकारी, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं ग्राम वासियान से प्राप्त जानकारी तथा दखलनामा के अनुसार लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल की जाति नाई होना जाहिर होता है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बोरखेडा तहसील दीगोद	वादीगण मोहनलाल जुगराज Krishna सरपंच ग्राम पंचायत मोरपा [illegible] जिला [illegible] (राज.)

[illegible]

माँगीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] जो किस [illegible] तामील में [illegible]
	स्थित आवंटित पूर्व ख0नं0 646 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि का हाल खसरा नम्बरान से मिलान करते हुए, लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल जाति नाई के विधिक वारिसान की जांच कर, वारिसान की गैर खातेदारी में दर्ज की जावें। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प मोरपा

उनवान

मोहनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई निवासी बोरखेडा (मोरपा) तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी नीलकंठ कॉलोनी अन्ता जिला बांरा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 91/17

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब श्री आबिद खान एडवोकेट मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बोरखेडा तहसील दीगोद स्थित आवंटित पूर्व ख0न0 646 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि का हाल खसरा नम्बरान से मिलान करते हुए लक्ष्मीनारायण पुत्र देवीलाल जाति नाई के विधिक वारिसान की जांच कर, वारिसान की गैर खातेदारी में दर्ज की जावें।" तदनुसार अन्तिम डिकी लोक अदालत केम्प मोरपा में जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner